भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 714
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

714. डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री दामोदर अग्रवालः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान, देश में स्थापित किए गए प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्रों की राजस्थान सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या अस्पताल परिसरों में स्थापित किए जा रहे केंद्रों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2025 तक देश में स्थापित किए जाने वाले जन औषधि केंद्रों की संख्या के लक्ष्य सहित राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों में स्थापित किए जाने वाले केंद्रों का ब्यौरा क्या है;
(घ) प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को प्रदान किए जा रहे लाभ का ब्यौरा क्या है;
(ङ) प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना करने की पात्रता, शर्तें और लागत का ब्यौरा क्या है; और
(च) प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध दवाओं की सूची का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 और 2023-2024 के बीच देशभर में कुल 7,484 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनमें से 215 राजस्थान राज्य में खोले गए हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान खोले गए जन औषधि केंद्रों की राज्य-वार और केंद्र शासित प्रदेश-वार तथा वित्तीय वर्ष-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): सभी जन औषधि केंद्रों के मालिक उनके द्वारा की गई मासिक खरीद के 20% की दर से मासिक अधिकतम सीमा 20,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने विनिर्दिष्ट दवाओं का स्टॉक बनाए रखने जैसी कुछ शर्तें पूरी करी हों। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में खोले गए केन्द्रों या महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा खोले गए केन्द्रों को फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य फिक्स्चर के लिए सहायता के रूप में 2 लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(ग): सरकार ने दिनांक 31.3.2025 तक देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया और यह लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। कोई जिला-वार लक्ष्य नहीं था।

(घ) से (च): योजना की उत्पाद टोकरी के अंतर्गत 2,047 दवाएं और 300 सर्जिकल्स, चिकित्सीय उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कि हृदयवाहिका, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रो-आंत्र संबंधी दवाएं और न्यूट्रास्युटिकल्स को कवर करते हैं और इनकी सूची भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो की वेबसाइट अर्थात् (https://janaushadhi.gov.in/productportfolio/ ProductmrpList) पर उपलब्ध है। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले 10 वर्षों में, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से एमआरपी के संदर्भ में 6,462 करोड़ रुपए की दवाइयों की बिक्री की गई है जिसके फलस्वरूप ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं और किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए किफायती दामों पर मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 रुपए प्रति पैड की दर से जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिनांक 31.1.2025 तक ऐसे 72.63 करोड़ से अधिक पैडों की बिक्री की जा चुकी है। इसके अलावा, इस योजना ने आउटलेट संचालित करने वाले उद्यमियों को स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार प्रदान किया है।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं डी. फार्मा. या बी. फार्मा. योग्यता हो या कोई व्यक्ति या संगठन जिसने संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में ऐसी योग्यता नियोजित की हो, वह जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्र है। ऐसे आउटलेट खोलने के लिए आवेदन करने की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं:

(i) न्यूनतम 120 वर्ग फीट स्थान;
(ii) संबंधित राज्य फार्मेसी परिषद के साथ फार्मासिस्ट का पंजीकरण; तथा
(iii) दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों के संबंध में, संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र/प्रमाण को वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करना।

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में डॉ. मन्ना लाल रावत और श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान खोले गए जन औषधि केंद्रों (जेएके) की राज्य-वार और केंद्र शासित प्रदेश-वार तथा वित्तीय वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान खोले गए जन औषधि केन्द्रों की कुल संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	7	0	0	7
2.	आंध्र प्रदेश	6	8	5	16	143	178
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	0	0	1	2	9
4.	असम	16	11	15	23	21	86
5.	बिहार	27	61	61	85	197	431
6.	चंडीगढ़	1	1	0	2	3	7
7.	छत्तीसगढ	6	16	12	6	34	74
8.	दिल्ली	63	149	81	14	60	367
9.	गोवा	0	1	1	1	3	6
10.	गुजरात	58	63	41	17	154	333
11.	हरियाणा	22	34	37	37	94	224
12.	हिमाचल प्रदेश	9	6	6	3	11	35
13.	जम्मू और कश्मीर	36	5	38	95	72	246
14.	झारखंड	13	5	9	10	28	65
15.	कर्नाटक	144	239	97	115	165	760
16.	केरल	94	225	246	19	50	634
17.	लद्दाख	1	0	0	0	0	1
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	1
19.	मध्य प्रदेश	52	42	23	37	110	264
20.	महाराष्ट्र	104	97	49	36	93	379
21.	मणिपुर	0	1	3	3	11	18
22.	मेघालय	8	5	1	3	1	18
23.	मिजोरम	6	0	0	0	0	6
24.	नागालैंड	1	0	4	1	0	6
25.	ओडिशा	66	74	88	55	114	397
26.	पुदुचेरी	2	0	3	1	6	12
27.	पंजाब	60	84	29	15	64	252
28.	राजस्थान	16	16	29	16	138	215
29.	सिक्किम	0	1	0	1	3	5
30.	तमिलनाडु	93	155	93	54	187	582

31.	तेलंगाना	14	26	22	19	21	102
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	12	5	0	2	25
33.	त्रिपुरा	1	0	0	1	0	2
34.	उत्तर प्रदेश	119	185	135	199	694	1,332
35.	उत्तराखंड	31	24	15	7	35	112
36.	पश्चिम बंगाल	33	36	37	47	140	293
कुल		**1,114**	**1,582**	**1,192**	**939**	**2,657**	**7,484**